

जीरो टॉलरेंस नीति

महाविद्यालय में जीरो टॉलरेंस नीति का नियमानुसार पालन करने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1- उद्देश्य

देश भर के महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा स्थलों में जीरो टॉलरेंस की नीतियों को अपनाया गया है। नीतियों को आमतौर पर महाविद्यालयों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, हिंसा और गिराव की गतिविधियों को रोकने के रूप में प्रचारित किया जाता है। शून्य सहनशीलता की आम नीतियां मनोरंजक दवाओं या हथियारों को रखने या उपयोग करने से संबंधित हैं। विद्यार्थी और कभी-कभी कर्मचारी, माता-पिता, और अन्य आगंतुक जो प्रतिबंधित वस्तु रखते हैं या किसी भी कारण से कोई निषिद्ध कार्रवाई करते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से दंडित किया जाता है। महाविद्यालय प्रशासकों को अपने निर्णय का उपयोग करने से रोक दिया जाता है, मामूली अपराधों के अनुपात में गंभीर दंड को कम करना, या कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करना होगा। इस हेतु महाविद्यालय द्वारा निम्न प्रावधान किये गये।

2- समिति

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

नोट- समिति में 02 महिलाओं की सहभागिता एवं अधिकतम 03 सदस्य अनिवार्य है।

3- कार्यप्रणाली

नीति के अंतर्गत-

- किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना
- अपशब्द का प्रयोग करना
- किसी कार्य के लिए दवाब डालना
- अभद्र व्यवहार करना
- ताने मारना इत्यादि

उपरोक्त किसी प्रकार का व्यवहार करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति एवं विद्यार्थियों को निम्न सजा का प्रावधान किया जा सकता है

- संस्था से बाहर निकाला जा सकता है ।
- परीक्षा से वंचित किया जा सकता है ।
- कानूनी सजा हो सकती है ।

नोट- इस प्रकार की घटना होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य/समिति के सदस्यों को सूचित करें।

4- निष्कर्ष

Office of The Principal Govt. Degree College Timarni, Dist. Harda (M.P.)

College Code : 3208

Phone/ Fax : 07573-292018

E-mail Id- hegctimhar@mp.gov.in

जीरो टॉलरेंस नीति

सत्र 2022-23 माह- जून में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण समिति को प्राप्त नहीं हुआ है।

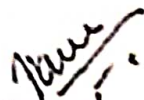
संयोजक - श्री संजय कुमार पटवा

सदस्य - श्रीमती सुरभि चौरे

सदस्य - सुश्री मीनाक्षी यादव

सदस्य - श्री धर्मेन्द्र जमरा

सदस्य - डॉ. महेन्द्र सिंह तड़वाल


Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA, M.P.)

जीरो टॉलरेंस नीति

सत्र 2019-20 माह- जून में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण समिति को प्राप्त नहीं हुआ है।

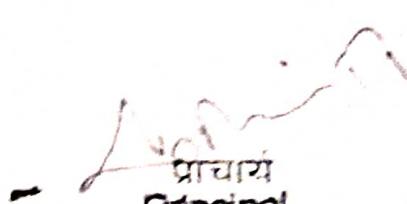
संयोजक - डॉ. जे. के. जैन

सदस्य - श्री संजय कुमार पटवा

सदस्य - श्रीमती सुरभि चौरे

सदस्य - सुश्री मीनाक्षी यादव

सदस्य - श्री धर्मन्द्र जमरा


- प्राचार्य
Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M.P.

Office of The Principal Govt. Degre College Timarni, Dist. Harda (M.P.)

College Code : 3208

Phone/ Fax : 07573-292018

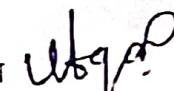
E-mail Id- hegctimhar@mp.gov.in

जीरो टॉलरेंस नीति

सत्र 2018-19 माह- मई में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टॉफ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण समिति को प्राप्त नहीं हुआ है।

संयोजक — डॉ. व्ही. रघुवंशी 

संदस्य — डॉ. जे. के. जैन 

संदस्य — श्रीमती कल्पना अग्रवाल 


प्रधानाचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
दिमर्जी जिला-सदा (म.प.)

Office of The Principal Govt. Degre College Timarni, Dist. Harda (M.P.)

College Code : 3208

Phone/ Fax : 07573-292018

E-mail

Id-

hegctimhar@mp.gov.in

जीरो टॉलरेंस नीति

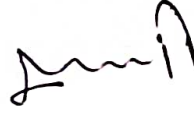
प्रतिवेदन

सत्र 2017-18 में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टॉफ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण समिति को प्राप्त नहीं हुआ है।

संयोजक

—

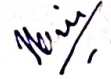
डॉ.व्ही. रघुवंशी



संदस्य

—

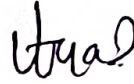
डॉ.जे.के. जैन



संदस्य

—

श्रीमती कल्पना अग्रवाल



प्रधानाचार्य
शास्त्रीय स्नातक महाविद्यालय
टिमरनी जिला-हर्दा (म.प्र.)